संख्या-**44/2015/**1278 सी0डी0/46-3-15-1000(108)/99

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त, (नाम से)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2015

वषय- सांख्यिकी परियोजना के उन कर्मचारियों, जिनकी राजकीय पदों पर समायोजन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात कया गया है, को छठा वेतनमान के अनुसार पुनरी क्षत वेतन संरचना का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वास्त वक रुप से अनुमन्य कये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक अपने पत्र संख्या-1884/141/वर्ग-1/स्था0, दिनांक 03.12.2013, पत्र संख्या-320/141/वर्ग-1/स्था0, दिनांक 30.05.2014 एवं पत्र संख्या-480/01/वर्ग-1/ स्था0, दिनांक 22.05.2015 तथा शासनादेश संख्या-34/2015/1515सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014, दिनांक 23.06.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सांख्यिकी परियोजना के ऐसे कर्मचारियों, जिनका गन्ना आयुक्त अ धष्ठान के राजकीय पदों पर समायोजन, दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् एवं दिनांक 13.11.2009 के मध्य व भन्न ति थयों में कया गया है, उन्हें भी छठा वेतनमान का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य कये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् वचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लया गया है क सांख्यिकी परियोजना के ऐसे कर्मचारियों, जिनका गन्ना आयुक्त अ धष्ठान के राजकीय पदों पर समायोजन, दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् व भन्न ति थयों में कया गया है, को छठे वेतनमान के अन्तर्गत पुनरी क्षत वेतन संरचना का वास्त वक लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से इस शर्त के अधीन अनुमन्य कर दिया जाये क उपरोक्त व्यवस्था का लाभ दिये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को शक्कर वशेष नि ध से वहन कया जायेगा एवं राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई वत्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3- उक्त के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् राजकीय वभाग में समायोजित कये गये इन का र्मकों के द्वारा, राजकीय क र्मयों की भांति पुनरी क्षत वेतन संरचना में वेतन निर्धारण कये जाने के सम्बन्ध में वत्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-

---------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तक वकल्प चुन सकते हैं।

4- यह आदेश वत्त वभाग के अशा0 संख्या-ई-6-**372**/दस-2015, दिनांक 0**4** अगस्त, **2015** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत कये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख स चव।

संख्या-**44/2015/**1278 (1) सी0डी0/46-3-15-1000(108)/99, तद्दिनां कत

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षतः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वत्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय नि ध लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वत्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वत्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त स चव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।